

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक २३ / पी.ए. / प्र.अ. / मानि / 10
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29.1.10

मुख्य अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल/इन्दीरा/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां परिक्षेत्र

समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मंडल)
मध्यप्रदेश

समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संड (सिविल/परियोजना/संघाटण/वि.यां)
मध्यप्रदेश ।

विषय:- निविदाओं के निराकरण की समय सीमा ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 29.1.10 को सभी निर्माण विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यों को गति प्रदान करने के संबंध में समीक्षा कर, निर्देश दिये हैं । निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के लिये तथा पूर्ण पारदर्शिता के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है :-

1. सभी स्तरों पर निविदाओं का निराकरण एक सप्ताह में किया जाना है । यदि किसी भी प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है अथवा प्रकरण में किसी भी प्रकार की कमी है तो उसका निराकरण भी इसी समयवधि में किया जाना है । विभाग द्वारा विभागीय प्रकरणों में कार्यपालन यंत्री स्तर पर 15 दिन का समय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था किन्तु निर्माण विभागों के लिये यह समय सीमा प्रत्येक स्तर पर एक सप्ताह निर्धारित की गई है, अतः इसका पालन किया जाए । प्रत्येक माह के अंत की स्थिति में, माह में प्राप्त एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण देते हुये अपने उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से प्रतिवेदन भेजा जाना है ।

2. अनावश्यक क़य नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं । किसी भी प्रकरण में यदि यह पाया गया कि किसी भी सामग्री का क़य बिना तात्कालिक आवश्यकता के किया गया है तो संबंधित अधिकारियों से इस पूर्ण राशि की वसूली की जायेगी । समस्त विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसी सामग्री तो उपलब्ध नहीं है जिसका क़य कर लिया गया है किन्तु उपयोग नहीं किया गया है, प्रत्येक सामग्री का, तात्काल संबंधित योजना पर उपयोग सुनिश्चित करें एवं आगामी माह से इस संबंध में भी मासिक प्रतिवेदन भेजें ।


3. कुछ अधिकारियों द्वारा भण्डार क़य नियमों का उल्लंघन कर, कोटेशन आदि पर अथवा उपरोक्ता भण्डार आदि से अनधिकृत क़य कर लिया जाता है । ऐसे प्रत्येक अनधिकृत क़य की पूर्ण राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जायेगी । अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में मैन्युअल की निर्धारित प्रक्रिया एवं भण्डार क़य नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए । निचले स्तर पर कोटेशन आदि के माध्यम से क़य अथवा कार्य तो नहीं किये जा रहे हैं इस पर भी पूर्ण नियंत्रण रखा जाए । किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर संबंधित अधिकारी से तात्काल वसूली हेतु आशयक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

4. कई प्रकरणों में यह देखा गया है कि ठेकेदारों के बिल बनाने में तथा उनका भुगतान करने में अनावश्यक समय लगाया जाता है जिसके कारण ठेकेदार के कार्य की प्रगति भी प्रभावित होती है तथा विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की भी संभावना बढ़ती है। यह सुनिश्चित करें कि कार्य होने पर तत्काल अनुबंध के प्रावधान के अनुसार बिल तैयार किये जाएं एवं तत्काल नियमानुसार भुगतान किया जाए एवं बिल का भुगतान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। इस प्रकार के विलंब से संबंधित यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उच्च अधिकारी उसका गंभीरता से परीक्षण करें एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। निविदाओं की स्वीकृति के उपरान्त कार्यदेश देने, ले-आउट देने तथा लगातार आदि का अनुमोदन करने एवं विभागीय औपचारिकता की पूर्ति में किसी भी स्तर पर कोई विलंब न हो, इस भी सुनिश्चित किया जाए।

तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें एवं नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन भेजें। इन प्रकरणों की नियमित मॉनीटरिंग अथवा माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय द्वारा भी की जाएगी।

सूचनांक २३५ / पी.ए./प्र.अ./मानि/१०
प्रतिनिधि-

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर
सूचनार्थ अर्पित।


(सुधीर राफेलगा)
प्रमुख अभियन्ता
भोपाल, दिनांक 29.1.10


प्रमुख अभियन्ता